राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 66/2014/श्रीगंगानगर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,घट–प्रथम,श्रीगंगानगर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स रोहित स्टील वर्क्स
श्रीगंगानगर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से
श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से
निर्णय दिनांक 26.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, श्रीगंगानगर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 183/आरवैट/श्रीगंगानगर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,00,000/– एवं वैट रू. 50,000/–आरोपित करते हुए कुल रू 3,50,000/–की मांग सृजित की गई है,जिसको अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.04.2012 को वाहन संख्या आर जे 07जी.ए.3564 को मैसर्स जगदम्बा स्टील्स पीलीबंगा के यहां परिवहनित लोहा अनलोड करते हुए चेक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच पर पाया गया कि उक्त माल मण्डी गोविन्दगढ (पंजाब) से श्रीगंगानगर की विभिन्न मण्डियों में परिवहनित करके लाया गया है,जिसके श्रृंखलाबद्ध प्रमुख दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके लिए सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.04.2012 के लिए नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में मण्डी गोविन्दगढ की 3 विभिन्न फर्मो के बिल एवं बिल्टियॉ एवं 3 प्रेषक फर्मों से सम्बन्धित संव्यवहारों का एक ही घोषणा पत्र–47 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया कि व्यवहारी द्वारा प्रेषक 3 फर्मो का एक ही जारी घोषणा वैट–47 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है तथा पंजाब की निकासी चेक पोस्ट से सम्बन्धित प्रपत्र वैट xxxvi एवं फर्म की बहियात जांच हेतु

प्रस्तुत नहीं की गई । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी संव्यवहारों की सत्यता की पुष्टि हेतु बहियात प्रस्तुत नहीं करने के कारण सोची समझी दृष्प्रवति की मन्शा मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अनतर्गत शास्ति रू. 3,00,000/– एवं वैट रू. 50,000/–आरोपित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 18.04.2012 पारित किया। उक्त आरोपित शास्ति एवं वैट से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति एवं वैट को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2013 पारित किया है,जिसस असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रू. 3,00,000/– एवं वैट रू. 50,000/–का अपास्त करना अविधिक है। उनका कथन है कि मण्डी गोविन्दगढ (पंजाब) से श्रीगंगानगर के लिए लोहा लाया जा रहा था,जिसके लिए 21 टन लोहा के लिए बिल्टियां जारी की गई हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों की है और उनके साथ वैट–47 की छाया प्रति पायी गयी है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया,नोटिस की पालना में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता की जांच हेतु लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गई हैं। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति एवं वेट आरोपित किया गया था, जो उचित एवं विधिक है, किन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए शास्ति एवं कर को अपास्त किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण विवादित बिन्दु यह है कि जांच के दौरान 3 विभिन्न फर्मो के बिल एवं बिल्टियॉ एवं 3 प्रेषक फर्मों से सम्बन्धित संव्यवहारों का एक ही घोषणा पत्र–47 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है,जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल की जांच पीलीबंगा स्थित फर्म के यहां माल के अनलोडिंग के समय की गई एवं

पीलीबंगा फर्म द्वारा माल का क्रय बिल पंजाब से नहं किया जाकर गंगानगर स्थित अप्रार्थी फर्म मैसर्स रोहित स्टील वर्क्स गंगानगर से किया गया है जिसके द्वारा जारी वैट इनवाईस क्रमांक 23 दिनांक 10.04.2012 एवं टी.एफ.सी गुडस कैरियर की बिल्टी नम्बर 403851 दिनांक 10.04.2012 द्वारा श्री गंगानगर से पीलीबंगा चालक द्वारा प्रस्तुत कर कदी गई, जो जांच के समय वैध दस्तावेज था। जांच के समय जांच अधिकारी के समक्ष गंगानगर की फर्म द्वारा जारी उक्त बिल एवंबिल्टी प्रस्तुत कर दिया जाना पर्याप्त दस्तावेज होना स्पष्ट है। अन्य दस्तोवजों की जांच हेतु माना जाना उसके सत्यता पमाणित करने का कार्य ही माना जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समसत दस्तावेज प्रस्तत कर दिये जाने के बावजूद उसमें कमी बताकर करापंवचन का अनुमान किया गया है,जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पंजाब बोर्डर की चेक पोस्ट पर इन्द्राज की जांच स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जा सकती थी इसके लिए क्रेता को बाध्य नहीं किया जा सकता, एवं ना ही इस आधार पर करापवंचना होना माना जा सकता है। क्रेता व्यवहारी द्वारा तीन फर्मों से किये गये व्यवहारों का एक वैट–47 में दर्ज करने को अविधिक नही कहा जा सकता क्योंक इस बाबत नियम 53 में अन्यथा उल्लेखित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जांच के समय वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तत कर दिये जानेके कारण अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन नहीं होता है और पीलीबंगा के क्रेता फर्म द्वारा माल का क्रय गंगानगर की अपीलार्थी फर्म से किये जाने के कारण नियम 53 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों का समावेश करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं समझती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2013 की पुष्टि करते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य